

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार RAS
राजस्व मूल वाद संख्या:- 70/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. भानाराम पुत्र स्व० श्री गंगाराम उम्र 62 वर्ष जाति विशनोई निवासी श्री बालाजी नगर गुडा विशनोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01. विमाराम पुत्र स्व० श्री गंगाराम 02. श्यामलाल पुत्र श्री विमाराम 03. मांगीलाल पुत्र स्व० श्री रतनाराम 04. नैमाराम पुत्र स्व० श्री रतनाराम 05. दिलबाग पुत्र स्व० श्री रतनाराम 06. श्रीमती सारा धर्मपति स्व० श्री रतनाराम जाति विशनोई निवासी बालाजी नगर गुडा विशनोइयान तहसील लूणी 03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति -

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पुनिया उपस्थित
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पी.आर. विशनोई उपस्थित
दिनांक 13/12/2022
आदेश

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.12.2019 को किया गया एव आपसी लोक अदालत की भावना से राजीनामा दिनांक 12.02.2019 को किया गया था एव तहसीलदार लूणी को बटवाड प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 19.02.2020 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 12.02.2019 के अनुसार खसरा नम्बर 51, 53, 71, 316, व 68/2 ग्राम श्री बालाजी नगर तहसील लूणी वादीगण एव प्रतिवादीगण का नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 19.02.2020 मय मौका फर्द दिनांक 28.01.2020 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलन पत्रावली है इसके अनुसार। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार

01. भानाराम पुत्र गंगाराम जाति विशनोई सा.देह,खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
53	11.03	बारानी प्रथम	3.40
51/1	7.08	बारानी प्रथम	5.13
68/2	10.00	बारानी प्रथम	4.60
03	28.11	बारानी प्रथम	13.13



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

02. मागीलाल दिलबाग पुत्र रतनाराम जाति विश्‍नोई सा, देह खातेदार।
खसरा नम्बर रकबा किरम लगान
71/2 18.10 बारानी प्रथम 8.51

03. नेमाराम पुत्र रतनाराम जाति विश्‍नोई सा, देह खातेदार

खसरा नम्बर रकबा किरम लगान
68/2 10.00 बारानी प्रथम 4.60

04. चीमाराम पुत्र गंगाराम जाति विश्‍नोई सा, देह खातेदार

खसरा नम्बर रकबा किरम लगान
68/2 10.00 बारानी प्रथम 4.60

05. श्यामलाल पुत्र चीमाराम जाति विश्‍नोई सा, देह रकबा 3.17 बीधा शिवसिंह राजपुरोहित पुत्र दीपसिंह जाति राजपुरोहित सा कनोडिया पुरोहितान, प्रकाश शर्मा पुत्र पारसमल शर्मा जाति बाहमण सा, गणेश नगर ललित कुमार पुत्र लक्ष्मणराम जाति प्रजापत निवासी 10 वी गोस्वर्धन कॉलोनी रातानाडा जोधपुर रकबा 1.15 बीधा भानाराम पुत्र गंगाराम 1/3 जाति विश्‍नोई सा, देह खातेदार ओमप्रकाश विश्‍नोई पुत्र चीमाराम जाति विश्‍नोई सा झालामण्ड रकबा 2.01 बीधा चीमाराम पुत्र गंगाराम रकबा 3.11 बीधा जाति विश्‍नोई सा, देह खातेदार

खसरा नम्बर रकबा किरम लगान
316/1 16.16 बारानी प्रथम 7.73

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया एव वादी व प्रतिवादीगण का बटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बटवाड प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 19.02.2020 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरसीम इन्दाज करे। बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 19.02.2020 डिकी का अभिलन अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।



(गोपाल परिहार) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

डिकरी बसुकदम ईकादाई
(आर्डर 20, रुल 8-7, जाका दीवानी)
अज अदागत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठसीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.एस.
राजस्थान वाद संख्या : 70 / 2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. गानाराम पुत्र स्व0 श्री गानाराम उम 62 वर्ष जाति विश्नाई निवासी श्री बालाजी नगर गुडा विश्नाईधान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01 चिमाराम पुत्र स्व0 श्री गानाराम 02 श्यामलाल पुत्र श्री चिमाराम 03 मागीलाल पुत्र स्व0 श्री स्तनाराम 04 नेमाराम पुत्र स्व0 श्री स्तनाराम 05 दिलधाम पुत्र स्व0 श्री स्तनाराम 06 श्रीमती साया धर्मपति स्व0 श्री स्तनाराम जाति विश्नाई निवासी बालाजी नगर गुडा विश्नाईधान तहसील लूणी 03 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 70 / 2019 यह आज मुकदमा वास्तु इन्किलास किलई रु-ब-रु हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्रायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि अतःआदेश है कि वादी का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनक 28.01.2020 अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है।

श्री. मुद्रायलाह व मुद्र अदागत आज तारीख 19/01/2020 को अदा करें।
श्री. क्रीमदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयारी तक

नतीला से दस्तखत व मुद्र अदागत आज तारीख 19/01/2020 को जारी की गई है।
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

मुद्रई	रूपया	पै.	मुद्रायलाह	रूपया	पै.
स्वाम अरजी दावा	स्वाम		स्वाम अरजी दावा	स्वाम	
वकातलनामा			वकातलनामा		
स्वाम बजह सख्त			स्वाम बजह सख्त		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
क्रीम कनिजर			क्रीम कनिजर		
बादा इजराय हुकमनामा मुकर्रिक			बादा इजराय हुकमनामा मुकर्रिक		
श्रीजान			श्रीजान		



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी